

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

समाचार भाग-2

(विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी)  
मंगलवार, 12 जुलाई, 2005/आषाढ़ 21, 1927(शक)

सं. 100

विषय : सदस्य की नजरबंदी व रिहाई

माननीय अध्यक्ष महोदय, दिल्ली विधान सभा, दिल्ली को सम्बोधित, उपायुक्त पुलिस, उत्तरी जिला, सिविल लाईन्स, दिल्ली से निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ :-

“मुझे सम्मानपूर्वक आपको यह सूचित करना है कि दिल्ली विधान सभा के माननीय सदस्य, श्री साहब सिंह चौहान को दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 65 के तहत लाल किला चौक, दिल्ली से दिनांक 09.07.2005 को 1117 बजे नजरबंद किया गया।

उन्हें, उसी दिन एवं उसी स्थान से 1127 बजे रिहा कर दिया गया”।

सिद्धार्थ राव  
सचिव

**DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT**  
**BULLETIN PART-II**

(General information relating to legislative and other matters)

Tuesday 12<sup>th</sup> July, 2005/21 Ashadha 1927 (Saka)

No. 100

Sub: DETENTION AND RELEASE OF MEMBER

The following message addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha, Delhi, was received from Dy. Commissioner of Police, North District, Civil Lines, Delhi:

"I have the honour to inform you that Shri Sahib Singh Chauhan, Hon'ble Member of Legislative Assembly, Delhi were detained U/S 65 of Delhi Police Act, 1978 from Red Fort Chowk, Delhi at 1117 Hrs. on 9.7.2005.

They were released at 1127Hrs. from the same place and same date."

SIDDHARATH RAO  
Secretary